फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना, श्रीगगांनगर कैम्प– 365 हैड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राज0 भू राजस्व अधि. 1956 बाबत् रास्ता

प्रा0 पत्र संख्या :– 240/2023

GCMS संख्या :– 2023/ 109

09.06.2023 राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार रावला के पत्रांक 221 दिनांक 08.06.2023 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम 1 केएलडी, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पटवार मण्डल 2 केएलडी, भू0अ0निरीक्षक 2 केएलडी, तहसील रावला में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता मैन सड़क से पश्चिम दिशा में राधा स्वामी डेरा तक जाता है। रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। इस रास्ते की चौड़ाई 25 फुट है। यह रास्ता ग्राम 1 केएलडी के मु0 नं0 14/8 के किला नं0 16/3 में से होकर गुजरता है। यह रास्ता उक्त किला नं0 में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौड़ाई 25 फुट है। ग्राम पंचायल 2 केएलडी की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न है। प्रस्तावित रास्ता को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही (डोटेड लाईन) से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड ओर ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार रावला के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान

की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम 1 केएलडी, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पटवार मण्डल 2 केएलडी, भू–अभिलेख निरीक्षक 2 केएलडी तहसील रावला की भूमि मु0 नं0 14/8 के किला नं0 16/3 में से 0.022 है0 भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शें के अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार रावला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल–दरामद हेतु तहसीलदार रावला को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना
कैम्प– 365 हैड